



# सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)  
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

## 31 मार्च 2019 को समाप्त छमाही / वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	31.03.2019	पिछले वर्ष	31.03.2019	31.03.2018
	को समाप्त छमाही	31.03.2018	को समाप्त चालू अवधि	को समाप्त पिछला
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
<b>1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)</b>	<b>5242</b>	<b>3275</b>	<b>9482</b>	<b>6180</b>
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	4960	3072	9128	5822
(ख) निवेशों पर आय	31	39	53	54
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	251	164	301	304
(घ) अन्य	-	-	-	-
<b>2. अन्य आय</b>	<b>217</b>	<b>279</b>	<b>434</b>	<b>420</b>
<b>3. कुल आय (1+2)</b>	<b>5459</b>	<b>3554</b>	<b>9916</b>	<b>6600</b>
<b>4. ब्याज व्यय</b>	<b>3796</b>	<b>2198</b>	<b>6903</b>	<b>4083</b>
<b>5. परिचालन व्यय (i)+(ii)</b>	<b>266</b>	<b>288</b>	<b>512</b>	<b>510</b>
(i) कर्मचारी लागत	185	215	369	379
(ii) अन्य परिचालन व्यय	81	73	143	131
<b>6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)</b>	<b>4062</b>	<b>2486</b>	<b>7415</b>	<b>4593</b>
<b>7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)</b>	<b>1397</b>	<b>1068</b>	<b>2501</b>	<b>2007</b>
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय *	-55	24	-2	45
9. असाधारण मदें	-	-	-	-
<b>10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8-9)</b>	<b>1452</b>	<b>1044</b>	<b>2503</b>	<b>1962</b>
11. कर संबंधी व्यय @	392	236	551	533
<b>12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+)/ हानि(-) (10-11)</b>	<b>1060</b>	<b>808</b>	<b>1952</b>	<b>1429</b>
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
<b>14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)</b>	<b>1060</b>	<b>808</b>	<b>1952</b>	<b>1429</b>
15. चुकता ईक्रीटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	532	532	532	532
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	15863	14078	15863	14078
<b>17. विश्लेषणात्मक अनुपात</b>				
(i) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	27.11%	26.73%	27.11%	26.73%
(ii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)	19.92	15.19	36.70	26.87
<b>18. गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात</b>				
(क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	867.91	902.42	867.91	902.42
(ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	292.54	250.63	292.54	250.63
(ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.63	0.94	0.63	0.94
(घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.21	0.26	0.21	0.26
(च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात)	0.72%	0.82%	1.43%	1.61%

\* पुनरांकन पश्चात निवल @ आस्थगित कर समायोजन पश्चात निवल

### टिप्पणियाँ:

- 1) इन वित्तीय परिणामों की तैयारी में उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां वही हैं, जो 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में उपयोग की गई थीं।
- 2) निदेशक मंडल ने दिनांक 10 मई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणामों को अनुमोदित किया।
- 3) सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों की लेखा-परीक्षा की है।
- 4) 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' चल प्रावधान, निवेश मूल्यांकन संबंधी प्रावधान तथा पुनर्संचित खातों के प्रावधान के प्रतिलेखन के बाद निवल प्रावधान है।
- 5) भारतीय रिजर्व बैंक से जारी निदेशों/विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। कर्मचारी लाभ सहित आयकर, आस्थगित कर तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान वर्षांत में किए गए हैं।
- 6) "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत यथा 31 मार्च 2019 को अग्रानीत हानि, अनर्जक आस्ति निवेश प्रावधान और मानक आस्ति पर प्रावधान को चालू वित्त वर्ष 2018-19 से आगे वित्त वर्ष 2019 के दौरान आस्थगित कर आस्ति के रूप में मान्यता दी गई है।
- 7) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बैंक ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप गैर-निष्पादक आस्ति/गैर-निष्पादक निवेश हेतु विशिष्ट प्रावधान के लिए ₹393.68 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग किया है।
- 8) अवकाश एवं सेवानिवृत्ति किराया रियायत खाते में जमा ₹ 13.01 करोड़ राशि को पुनरांकित किया गया है क्योंकि उसे बही में अब अग्रानीत करने की आवश्यकता नहीं है।
- 9) निवल गैर-निष्पादक अस्तियों की गणना के लिए चल प्रावधान को नहीं लिया गया है।
- 10) निवेशकों से मिली शिकायतों की स्थिति: यथा 1 जनवरी, 2019 को कोई शिकायत निपटान के लिए शेष नहीं थी। चालू तिमाही के दौरान, निवेशकों से 10 शिकायत प्राप्त हुई थी और 9 शिकायतों का निपटान किया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को निपटान के लिए 01 शिकायत लंबित था। यद्यपि उसे भी बाद में 05/04/2019 को निपटारा गया।
- 11) पिछली अवधि के ऑकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- 12) भारतीय रिजर्व बैंक से इंड-एएस प्रारूप और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लंबित होने एवं एआईएफआईएस के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन के आस्थान के संबंध में लंबित स्पष्टीकरण और तदनुसार तुलन पत्र प्रारूपों में आशोधन से वार्षिक वित्तीय परिणामों को आईजीएपीपी के तहत तैयार किया जाना जारी रखा जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को इस के बारे में सूचित किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(मोहम्मद मुस्तफा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 10 मई, 2019

स्थान: लखनऊ

SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट: [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) देखें।

@sidbiofficial